...संख्या ... तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख

लगान धार्य वाद सं0– 02/2021–22

–: आदेश :–

अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक–296/रा0, दिनांक– 05.07.2021 के द्वारा मौजा–हाथकाठी थाना नं0–12 जमाबंदी संख्या–100/01, दाग संख्या– 328 के अन्तर्गत बंदोबस्ती पट्टा से प्राप्त रकवा–04बी0–06क0–05धूर जमीन का लगानधार्य हेतु आवेदक श्री दिनेश विलियम मरांडी, पिता–स्व0 साईमन मरांडी, सा0–कमलघाटी, थाना–हिरणपुर जिला–पाकुड़ के नाम से प्रस्ताव प्रपत्र एम0 में प्राप्त हुआ है। हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, हिरणपुर द्वारा प्रपत्र एम0 के प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियानी में अनाबादी कहकर दर्ज है। अंचल अधिकारी, हिरणपुर के पत्रांक–296/रा0 दिनांक–05.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के बन्दोबस्ती मु0 सं0–35/2002–03 के पारित आदेश दिनांक– 04.10.2002 के द्वारा आवेदक श्री दिनेश विलियम मरांडी, पिता–स्व0 साईमन मरांडी, सा0–कमलघाटी, के साथ ग्राम प्रधान के द्वारा दी गई बंदोबस्ती पट्टा निर्गत किया गया है तथा वर्ष 2001–02 तक लगान रसीद भी निर्गत किया गया है। उक्त भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण भोग दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी हिरणपुर ने प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण हेतु प्रपत्र एम0 भेजा गया है।

अंचल अधिकारी, हिरणपुर ने प्रश्नगत भूमि से संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक हिरणपुर के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि के मद्देनजर भूमि का वार्षिक लगान 05/–(पाँच रुपए) प्रतिवर्ष प्रतिबीघा के दर से रकवा–04बी0–06क0–05धूर जमीन का 21.50 रूपये प्रतिबीघा अलावे सेस निर्धारित करने की अनुशंसा की है।

अतः अंचल अधिकारी हिरणपुर के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि के आधार पर प्रश्नगत भूमि का 22/–(बाईस रूपये) प्रति बीघा वार्षिक लगान के अलावे सेस श्री दिनेश विलियम मरांडी, पिता–स्व0 साईमन मरांडी, सा0–कमलघाटी के नाम करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम0 में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम0 की प्रति एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी हिरणपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
पाकुड़।

लगान धार्य सं० 02/2021-22

लगान धार्य प्रपत्र–M

जिला .पाकुड़ अनुमंडल .पाकुड़ अंचल .हिरणपुर

मौजा का नाम [illegible] थाना संख्या 12 हल्का संख्या IV तौजी नम्बर........

...मिक सेटेलमेंट खतियान के अनुसार दखलकार रैयत							लगान धार्य तालिका का नाम						
मांक	खतियान के अनुसार दखलकार रैयत का	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा वि0–क0–धुर	किस्म जमीन	खाता नम्बर	वर्त्तमान दखलकार रैयत का नाम पिता/पता वगैरह	खेसरा सं0	रकवा वि0–क0–धुर	किस्म जमीन	लगान प्रति बीघा की दर	नया लगान धार्य जमा	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनावादी (झारखंड सरकार)	101	328	54-09-00	पहाड़	101	श्री दिनेश मराण्डी पिता- स्व० साईमन मराण्डी ग्रा०- कमलघाटी अंचल- लिट्टीपाड़ा जिला- पाकुड़	328	04-06-05	पहाड़	5=00 प्रति बीघा	21.50 (इक्कीस रुपये पचास पैसे) अलावे सेस	महाशय, आवेदक श्री दिनेश मराण्डी के नाम से अनु० प०० पाकुड़ के बं०दो०मु०वा०- 35/02-03 दि० 04/10/02 द्वारा आवेदित भूमि बन्दोबस्त सम्पन्न की गई है। जिसपर आवेदक का दखल है। अतः आवेदक के नाम से लगान निर्धारण किया जा सकता है

रा० उप निरीक्षक 10/06/2021 हिरणपुर

अंचल निरीक्षक 10/06/2021 हिरणपुर

अंचल अधिकारी 05/07/2021 हिरणपुर

भूमि उप समाहर्ता पाकुड़

Digitally signed by RABINDRA CHOUDHARY
Date: 2021.07.24 15:48:55 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:3ccd:5c6:62dc:cdb8